न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः— 70 / 2025

प्रार्थीगणः—

1. चेनसिंह पुत्र जगराज जाति पुरोहित निवासी सुन्धानगर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. जसराज पुत्र पेमा जाति पुरोहित निवासी सुन्धानगर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. डुंगरसिह पुत्र जगराज जाति पुरोहित निवासी सुन्धानगर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. सूमरीदेवी पत्नी जगराज जाति पुरोहित निवासी सुन्धानगर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. हरिशचन्द्र पुत्र जगराज जाति पुरोहित निवासी सुन्धानगर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. महेन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी सुन्धानगर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 13-10-25

यह आवेदन प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के तहत पेश किया गया है, आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी खेत ग्राम सुन्धानगर तहसील सिवाना में पुराना 113 व 112 रकबा 0.6718 व 0.8499 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है तहसील सिवाना के सर्वे –रिसर्वे के पश्चात प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के नये खसरा संख्या 26 व 27 रकबा 0.5877 व 0.8399 हैक्टेयर भूमि बने, नवीन भू प्रबन्ध के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण के नये खसरा संख्या 26 व 27 क भूमि में रकबा 0.0951 हैक्टेयर भूमि कम करते हुए उक्त भूमि विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 30 में जोड़ दिया जिससे प्रार्थीगण के खेत का रकबा 0.0951 हैक्टेयर कम हो गया। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.28 17:09:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सिवाना ने जरिये पत्र कमांक–सर्वे–रिसर्वे./2025/879 दिनांक 11.09.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारीं भूमि ग्राम सुन्धानगर के पुराना खसरा संख्या 113 रकबा 0.6718 हैक्टेयर भूमि का सर्वे –रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 26 रकबा 0.5877 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा संख्या 112 रकबा 0.8499 से नया खसरा संख्या 27 रकबा 0.8399 हैक्टेयर भूमि बनी व विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 115 का सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 31 रकबा 1.4418 हैक्टेयर व खसरा संख्या 30 रकबा 0.2334 हैक्टेयर भूमि बनी, तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि सर्वे रिसर्वे से पूर्व खाता संख्या 90 में ROR अनुसार रकबा 11.1693 व OCM अनुसार 11.1079 है ROR और OCM में 0.0614 हैक्टेयर का अन्तर है, वर्तमान में उक्त खाते के खसरो में रास्ता भी दर्ज हुआ है, नक्शानुसार खाता संख्या 90 का रकबा कम होना चाहिए जबकि खाते में 0.0079 हैक्टेयर भूमि बढी है। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 30 में रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बरंग लाल ए.बी.सी.डी पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है जो कई वर्षो से चला आ रहा है। प्रार्थीगण का खसरा संख्या 26 का रकबा अधिक कम हुआ है इसलिए संलग्न नक्शानुसार बिन्दु संख्या ए.बी.सी.डी. बरंग लाल अनुसार रकबा 0.0614 विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 30 में से कम की जाकर प्रार्थीगण के खसरा संख्या में 26 में जोडा जाना उचित बताया है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सुन्धानगर तहसील सिवाना के नवीन खसरा संख्या 31 की नक्शा में विद्यमान वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शा में दर्शित बरंग लाल बिन्दू संख्या ए,बी,सी,डी अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। जरिये पत्र कमांक–भू.अ./2025/879 दिनांक 11.09.2025 तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.28 17:09:30 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 13-10-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

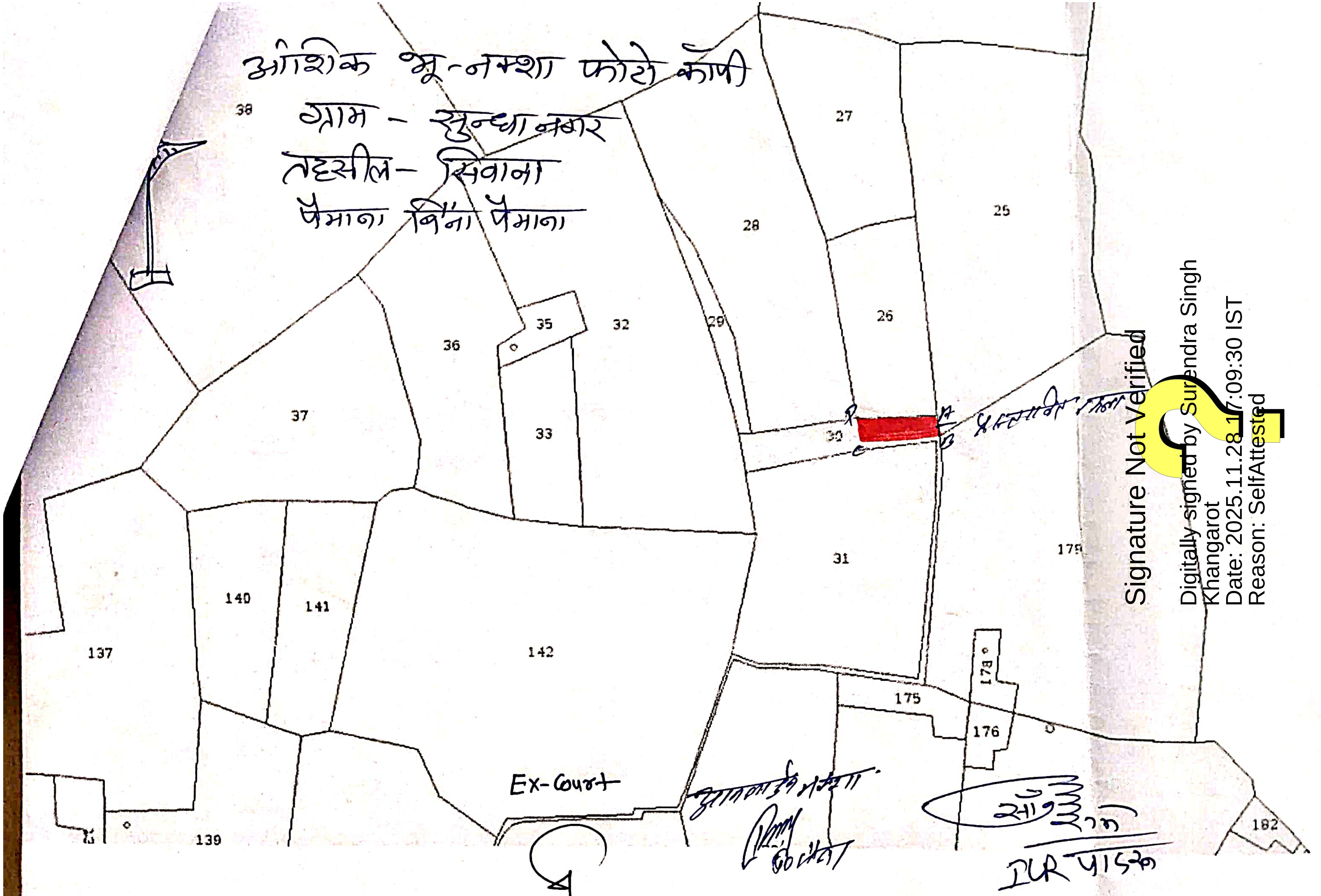

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.28 17:09:30 IST
Reason: SelfAttested